[illegible]
[illegible] सचिव,
[illegible] शासन।

[illegible] अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून, दिनांक [illegible] नवम्बर, 2005

[illegible] अनुभाग-2

वित्तीय वर्ष 2005-06 में टी.एस.पी.योजना के अन्तर्गत 56 (छप्पन) कार्यों की प्रशासनीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

[illegible] के [illegible] मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध [illegible] 56 ([illegible]) कार्यों [illegible] समाज कल्याण [illegible] द्वारा टी.एस.पी. के कार्यों हेतु उपयुक्त पाते हुए रूपये [illegible] की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये [illegible] (रू० उनसठ करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार मात्र) की लागत के आगणनों की टी.एस.पी. [illegible] उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य [illegible] हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 24.70 लाख [illegible] लाख [illegible]तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के [illegible] स्वीकृति प्रदान करते हैं।

[illegible] में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को [illegible] आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण [illegible] अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही [illegible] भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम [illegible] के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता [illegible] कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

[illegible] कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक [illegible] करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

[illegible] पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत [illegible] है, स्वीकृत [illegible] से अधिक व्यय कदापि न [illegible]।

[illegible] प्राविधान [illegible] करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से [illegible] करना आवश्यक होगा।

[illegible] कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण [illegible] प्रचलित दरों/[illegible] के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते [illegible] पालन करना सुनिश्चित [illegible]

[illegible] कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। [illegible] स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

[illegible] में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, [illegible] मद का दूसरी [illegible]। न किया जाय।

[illegible] सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी [illegible] सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

सत्यप्रति

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही इनके लिए स्वीकृत की जा रही धनराशि जायेगा और जिनकी उक्त कार्यवाही पूर्ण न हो तो उनका निरण राज्य सरकार को देकर वह से समर्पित कर दी जायेगी।

कार्यों में से किसी कार्य हेतु ... से अथवा अन्य ... बजट से स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस अभ्यनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। 7

से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों ... आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ... अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ... वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय ... स्वीकृत की जा रही धनराशि व दिनांक– 31. प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0 –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के– –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01– नया निर्माण कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला

आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.– 82 /XXVII/(2)/2005 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

56 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

/III–2/05,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, देहरादून
वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
मुख्य अभियन्ता, ग.क्षे./कु.क्षे. लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरांचल।
वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

सत्यप्रति

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

[illegible] चमोली में नन्दाकुली के समीप से खीरों [illegible] 5 किमी0 मोटर मार्ग एवं अलखनन्दा [illegible] के ऊपर किमी0 1.0 पर मोटर सेतु 90 [illegible] विस्तार) एवं किमी0 5 पर मोटर सेतु (25 [illegible] विस्तार) के निर्माण का प्रारम्भिक आगणन	5.00+ 2 सेतु	344.55	341.00	1.00
[illegible] चमोली में जुम्मा से कागा लग्गा [illegible] तक 16 किमी0 मोटर मार्गएवं प्रथम [illegible] पर मोटर सेतु (90 मी0 विस्तार) के [illegible] का प्रारम्भिक आगणन	16.00+ 1सेतु	441.50	441.50	1.50
[illegible] चमोली के अन्तर्गत जुम्मा द्रोणगिरी [illegible] मार्ग के कागा नामक से गरपक तक 5. [illegible] किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग एवं एक [illegible] मोटर सेतु (21 मी0 विस्तार) के निर्माण [illegible] प्रारम्भिक आगणन	5.00+ 21 मी0 सेतु	119.88	119.88	1.00
[illegible] चमोली में जोशीमठ [illegible] मारी मोटर मार्ग [illegible] कोषा तक 3.00 किमी मोटर मार्ग का [illegible]	3.00	43.20	43.20	0.10
[illegible] चमोली में रैणी [illegible] के लाता तथा [illegible] सुभाई तक [illegible] मोटर मार्ग [illegible] किमी0 4.00 में 70 मी0 विस्तार सेतु का [illegible]	8.00	271.98	271.98	1.00
[illegible] चमोली में पुरादेशोटा से तोलमा तक [illegible] मार्ग के किमी0 3.00 से किमी0 4.50 [illegible] मोटर मार्ग का विस्तार	1.50	21.60	21.60	0.10
[illegible] चमोली में जोशीमठ ब्लाक में [illegible] से 2.00 किमी0 [illegible] से पगरासू [illegible] मोटर मार्ग	4.00+ 70 मी0 सेतु	207.39	206.40	1.00
[illegible] चमोली में तमक नाला नामक स्थान [illegible] 8.00 किमी0 लम्बाई में मोटर [illegible] के नवनिर्माण का कार्य	8.00	115.20	115.20	1.00
[illegible] चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में [illegible] लाता [illegible] मोटर मार्ग के किमी0 0. [illegible] से 4000 तक [illegible] का प्रारम्भिक आगणन	-	50.40	50.40	0.10
[illegible] चमोली में जोशीमठ मलारी मोटर [illegible] की सुराई थौटा [illegible] चौकी के [illegible] नामक स्थान से लखी भलगांव [illegible] मोटर मार्ग का विस्तार	5.00	72.00	72.00	0.10
[illegible] पैदल हल्का वाहन मार्ग का मोटर [illegible] में परिवर्तन का प्रारम्भिक आगणन (किमी0 7 से 12)	6.00	32.40	32.40	0.10

[illegible]

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
[illegible]